न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी — घनश्याम मीणा (RAS)

प्रकरण संख्या - 20/2023 — दायर दिनांक 07.11.23

JCMS NO - 2023/350

1. रामकिशन पुत्र निहालसिंह 2. दलवीर 3. बाबूसिंह 4. भजनलाल जातियान जाट निवासीयान खानपुर तहसील भुसावर (भरतपुर)

---- प्रार्थीगण

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर (भरतपुर)

---- अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी धारा 111-128 राज० भूराजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित - 1. श्री सुरेन्द्र चौधरी - प्रार्थीगण
2. पेशकार सरकार

निर्णय दिनांक 11-12-2024

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 LRA के तहत पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ० ख० नं० 450 रकबा 0.2100, 573 रकबा 0.0700, 569 रकबा 0.2000 है० ग्राम खानपुर तहसील भुसावर में स्थित है जिसके प्रार्थीगण रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। मुताबिक तहसीलदार भुसावर के आदेश दिनांक 27.09.2023 की अनुपालना में हल्का पटवारी गारोली द्वारा पैमाईश की गई तथा सीमाज्ञान कराया गया तथा हल्का पटवारी द्वारा चिन्हित कर सीमाओं में निशानात कायम कर दिये गये।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया गया उक्त विवादित आराजीयात की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आधार तहसीलदार भुसावर आदेश दिये जावें।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 LRA दर्ज रजिस्टर प्रति वादी को तलबी जरिये रजिस्टर्ड डॉक द्वारा की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 03-10-23 का अवलोकन किया गया। मुताबिक सीमाज्ञान मौके पर ख०नं० 450, 569, 573 का विभिन्न मुटानों से मुस्तकिल बिन्दु कायमकर

--- लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

भिन्न बिन्दु कायम कर उपस्थित व्यक्तियों को चिन्ह (सीमा) के बताए गए। साथ ही ख.नं. 1330, 1328, 1336 का सीमाज्ञान समय अभाव के कारण नहीं हो सका।

हमने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया गया पत्रावली एवं उसमें प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट का अध्ययन किया गया इसके आधार पर हम प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दि० 03-10-23 के आधार पर आ० ख० नं० 450 रकबा 0.2100, 573 रकबा 0.0700 हे० व आ० ख० नं० 569 रकबा 0.2000 हे० वाके ग्राम खानपुर तहसील भुसावर की पत्थरगढ़ी का मुकाम कायम किये जावे। साथ ही यदि आवश्यकता हो तो वक्त पत्थरगढ़ी ख०नं० 1330, 1328, 1336, का भी सीमाज्ञान करावें।

साथ ही मौके पर पत्थरगढ़ी कायम किये जाते वक्त यदि पुलिस इमदाद की आवश्यकता समझें तो स्वयं सक्षम अधिकारी से आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पुलिस इमदाद करें।

निर्णय आज दिनांक 11.12.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

राधेश्याम मीणा
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.